

## फर्द अहकाम

### न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) भीण्डर, उदयपुर

प्रार्थी : श्रीमती डाईबाई

बनाम


विपक्षी : श्री सवा व अन्य

किस्म मुकदमा - 128 भूराजस्व अधिनियम

पत्रावली संख्या : 91/25

क्रमांक	कार्यवाही विवरण
	<p>दिनांक : 18.11.2025</p> <p>पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। विपक्षी संख्या 3 द्वारा उपस्थित होकर पत्थरगढी किये जाने पर कोई आपत्ति नहीं जताई। विपक्षी संख्या 1, 2 के सम्मन बाद तामिल प्राप्त। विपक्षी संख्या 1, 2 अनुपस्थित। आवाजे दिलवाई गई। अतः अनुपस्थित रहने पर विपक्षी संख्या 1, 2 के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश दिये जाते हैं। विपक्षी संख्या 4 द्वारा जवाब पेश नहीं करना चाहा। विपक्षी संख्या 4 का जवाब का अवसर बंद किया जाता है। प्रकरण में अधिवक्ता प्रार्थी व विपक्षी संख्या 3 को सुना गया। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रार्थनाग्रस्त भूमि की पत्थरगढी किये जाने का निवेदन किया। विपक्षी संख्या 3 द्वारा उपस्थित होकर पत्थरगढी किये जाने पर कोई आपत्ति नहीं जताई।</p> <p>हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। प्रकरण में अधिवक्ता प्रार्थी के कथनानुसार प्रार्थनाग्रस्त भूमि प्रार्थी एकमात्र रेकॉर्डेड खातेदार होकर आधिपत्यधारी है। विपक्षीगण प्रार्थनाग्रस्त भूमि के पड़ोसी है। प्रार्थनाग्रस्त भूमि का पक्का पुख्ता सीमांकन नहीं होने से सीमा को लेकर विवाद रहता है जिससे पत्थरगढी किये जाने का निवेदन किया। विपक्षी संख्या 3 द्वारा उपस्थित होकर पत्थरगढी किये जाने पर कोई आपत्ति नहीं जताई। शेष विपक्षी द्वारा प्रार्थना पत्र का जवाब पेश नहीं किया गया। विपक्षी संख्या 1, 2 अनुपस्थित रहे।</p> <p>हमने पाया की प्रार्थनाग्रस्त भूमि में प्रार्थी खातेदार हैं। खातेदार को अपनी भूमि पर पत्थरगढी करवाये जाने का पूर्ण अधिकार है। पत्थरगढी किये जाने से प्रार्थी एवं विपक्षी की भूमि के बीच पक्का पुख्ता सीमांकन हो जायेगा तथा भविष्य में सीमा संबंधित विवाद नहीं रहेंगा जिससे प्रकरण में पत्थरगढी किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थना पत्र न्यायहित में सर्शत स्वीकार किया जाता है।</p> <p style="text-align: center;"><b>—: आदेश :—</b></p> <p>परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू राजस्व अधिनियम का सर्शत स्वीकार किया जाता है कि मौजा बोरिया पटवार हल्का सिंहाड तहसील भीण्डर जिला उदयपुर की जमाबंदी 2078-81 की खाता संख्या नया 39 की आराजी न. 495 रकबा 1.0800 है। भूमि की चारो दिशाओं</p>




  
उपखण्ड अधिकारी भीण्डर  
जिला उदयपुर (राज)

सीमा की पत्थरगढी कर सीमाकन करायु जावें। पत्थरगढी हेतु तहसीलदार भीण्डर को 1000/- एक हजार रुपया कमिश्नर शुल्क पर कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता है कि सभी पक्षकारान की उपस्थिति में पत्थरगढी कराई जाकर पालना प्रस्तुत करें। यदि नवीन सेटलमेंट के कार प्रार्थनाग्रस्त भूमि की तरमीम व रेकर्ड में कोई त्रुटि हो तो पत्थरगढी नहीं करा जावें। उक्त पत्थरगढी किसी प्रकार का कब्जा प्राप्त करने से संबंधित नहीं है कि अतः यदि उक्त भूमि पर प्रार्थी का कब्जा नहीं है तो प्रार्थी कब्जा प्राप्ति हेतु सक्षम न्यायालय से राहत प्राप्त करें। तहसीलदार सुनिश्चित करें कि पत्थरगढी के दौरान कब्जा प्राप्ति की कार्यवाही न हो। पालना हेतु तहसीलदार भीण्डर को लिखा जाकर पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। फ़ीस कमिश्नर राशि का भुगतान प्रार्थी अदा करेगें।

निर्णय खुले ईजलास सुनाया गया।



  
(रमेश चन्द्र बहेडिया RAS)  
उपखण्ड अधिकारी  
उपखण्ड अधिकारी भीण्डर  
जिला उदयपुर (राज)